न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0 — 142/2017
प्रविष्टि दिनांक — 15.09.2017

उनवान

1. दीपका पुत्र मालमा जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
2. घनश्याम पुत्र खजान्या जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार टोंक।
3. सीमा पत्नि भंवरलाल जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
4. सुरेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
5. सोमेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
6. उषा पुत्री भंवरलाल जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक?
7. सुनिता पत्नि गोवर्धन जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
8. नीरज पुत्र गोवर्धन जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
9. निर्जला पुत्री गोवर्धन जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
10. निरमा पुत्री गोवर्धन जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित—
वकील वादी— श्री जितेन्द्र कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण— 1 व 2 श्री अर्जूनलाल मीणा नायब तहसीलदार टोंक

निर्णय

दावा बाबत—घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज तथा स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक— 25/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दावा वादीगण यह है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक भू—आबंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया था उक्त आवंटन खजान्या व दीपका पिता मालमा जाति सांसी निवासी अलीपुरा के हक में किया गया था तब से ही आंवंटी उक्त भूमि पर काविज रहकर काश्त करने लग गये थे एंव आज तक भी मौके पर काविज है ओर काश्त कर रहे है। उक्त आवंटन वादी नं. 1 व वादी नं. 2 तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 10 के पूर्वज खजान्या के पक्ष में बहिस्सा बराबर किया गया था जिस पर 1/2 हिस्से पर खजान्या के वारिसान जिसमें वादी नं. 2 व प्रतिवादी नं. 3 ता 10 काबिज है ओर काश्त कर रहे है। आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम अलीपुरा तहसील टोंक में 1/2 हिस्से का वादी नं. 1 तथा शेष 1/2 हिस्से में वादी नं. 2 व प्रतिवादी सं. 3 ता 10 को खातेदार एंव काबिज काश्तकार घोषित किये जाने के लिए प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य है। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाये। प्रतिवादी नं. 1 व 2 को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे की वह जरिये स्वंय या प्रतिनिधि के उक्त भूमि से पक्षकारान को किसी प्रकार से बेदखल नहीं करे एंव अन्य के हक में आवंटन आदि नहीं करे।

वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात नकल आवेदनपत्र, सुपुर्दगीनामा,नक्शाट्रेस,खसरा परिवर्तनशील, जमाबन्दी ग्राम अलीपुरा संवत 2070—73 आदि प्रस्तुत किये।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 10 के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से तहसीलदार टोंक ने जरिये पैरोकार सरकार जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में वादीगण के वादपत्र में अंकित बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब के साथ कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। वादीगण ने गवाह पीडब्ल्यू–1, 2 व 3 के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

हमने लायक वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो का अध्ययन किया। वादीगण उन्हे एंव उनके पूर्वज को आवंटित वादग्रस्त भूमि की अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है। जिसके लिए यह वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल आवेदनपत्र, सुपुर्दगीनामा,नक्शाट्रेस,खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एंव उनके पूर्वज को आवंटित हुयी है जिसपर उनका कब्जा है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आवंटन आदेश का अमल दरामद नहीं हुआ है वर्तमान में वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। आवंटन आदेश का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कार्यालय प्रकिया के तहत आवंटन की शर्तो की पालना की जांच के पश्चात किया जावेगा। इस प्रकार दावे के जरिये खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती है। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रकट होता हौ कि उसके द्वारा सक्षम अधिकारी को आवंटन का अमल दरामद करवाने के लिए आवेदन पत्र पेश किया हो, ओर उसपर कार्यवाही नहीं की गयी हो। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वादीगण से वादग्रस्त भूमि आवंटन होने के बाद भी कब्जे काश्त की पैनल्टी वसूली जा रही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह निर्देश देना उचित समझता है कि वादीगण निर्धारित प्रपत्र में उक्त आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आवेदन पत्र तहसीलदार टोंक को पेश करें तथा तहसीलदार टोंक उक्त आवेदनपत्र की जांच कर एक माह की अवधि में अमल दरामद की कार्यवाही करे। यदि जांच में आवंटन उचित नहीं पाया जाता है तो सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर निरस्त की कार्यवाही करे। किन्तु जब तक वादीगण के विरूद्ध शास्ति एंव बैदखली की कार्यवाही नहीं की जावे।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत खातेदारी घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में उक्त आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आवेदन पत्र तहसीलदार टोंक को पेश करें तथा तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवेदनपत्र की जांच कर एक माह की अवधि में अमल दरामद की कार्यवाही करे। यदि जांच में उक्त आवंटन उचित नहीं पाया जाता है तो सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर निरस्त की कार्यवाही करे। किन्तु जब तक वादीगण के विरूद्ध शास्ति एंव बैदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 25/03/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री नित्या के0 आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

1. दीपका पुत्र मालमा जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
2. घनश्याम पुत्र खजान्या जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

11. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
12. तहसीलदार टोंक।
13. सीमा पत्नि भंवरलाल जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
14. सुरेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
15. सोमेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
16. उषा पुत्री भंवरलाल जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक?
17. सुनिता पत्नि गोवर्धन जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
18. नीरज पुत्र गोवर्धन जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
19. निर्जला पुत्री गोवर्धन जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक
20. निरमा पुत्री गोवर्धन जाति सांसी निवासी ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित—

वकील वादी— श्री जितेन्द्र कुमार जैन

वकील प्रतिवादीगण— 1 व 2 श्री अर्जूनलाल मीणा नायब तहसीलदार टोंक

दावा बाबत—घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज तथा स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या—142/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वादीगण का वाद बाबत खातेदारी घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में उक्त आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आवेदन पत्र तहसीलदार टोंक को पेश करें तथा तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवेदनपत्र की जांच कर एक माह की अवधि में अमल दरामद की कार्यवाही करे। यदि जांच में उक्त आवंटन उचित नहीं पाया जाता है तो सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर निरस्त की कार्यवाही करे। किन्तु जब तक वादीगण के विरूद्ध शास्ति एंव बैदखली की कार्यवाही नहीं की जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

मोहर

(नित्या के0)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपय	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीशान			मिजान		

नोट:—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।